संख्या–वे0आ0–2–694 / दस–2014–8(मु0स0स0) / 2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2014

विषयः मुख्य सचिव समिति द्वारा मलेरिया निरीक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव समिति द्वारा मलेरिया निरीक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया :––

(i) मलेरिया निरीक्षक संवर्ग में सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव अर्थात् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्बन्धित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/ संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराया जाय।

(ii) मलेरिया निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–तथा जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–को यथावत् बनाये रखा जाय।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–694 (1) / दस–2014–8(मु0स0स0) / 2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

2— निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

L.T. - Malaria -Optometrics